रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05
REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-02082025-265177
CG-DL-W-02082025-265177

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 25] नई दिल्ली, जुलाई 20—जुलाई 26, 2025, शनिवार/आषाढ़ 29—श्रावण 4, 1947
No. 25] NEW DELHI, JULY 20—JULY 26, 2025, SATURDAY/ASHADHA 29—SHRAVANA 4, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 107.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन निगरानी इकाई में संयुक्त उप निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक, के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, निगरानी इकाई, बाह्य-काडर पद भर्ती नियम, 2025 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. **लागू होना –** ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर –**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता-** कोई भी व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित हैं विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति –**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत में शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति –**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों , आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन अथवा अचयन पद।**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. संयुक्त उप निदेशक।	02* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12)₹ 78800-₹ 209200/-)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	**क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी अथवा नहीं**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित)।

प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	**यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी जो, -	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या)ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (₹67700-208700/-) में; या समतुल्य नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते हों, अर्थात्: -)i) अनिवार्य:- (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान में बीई या बीटेक या मास्टर डिग्री; (ख) सूचना सुरक्षा या ई-गवर्नेंस या सार्वजनिक नीति या लोक प्रशासन या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी या अन्वेषण या फोरेंसिक या सूचना सुरक्षा या अनुसंधान और विकास या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी या ई-गवर्नेंस और संबद्ध क्षेत्र में प्रशिक्षण में दस वर्ष का अनुभव।)ii) वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री या एम.एस.सी. (कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी) या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री या लोक प्रशासन या इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरिंग या कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग या कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। **टिप्पणी 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणी 2 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. उप निदेशक	04* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधीन	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (₹ 67700 – ₹ 208700/-)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी जो,- (क))i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए; या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (₹56100 – ₹177500/-) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा की हो; और	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते हों, अर्थात्: - (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग में स्नातक या प्रौद्योगिकी में स्नातक या विज्ञान में मास्टर डिग्री; (ii) सूचना सुरक्षा या ई-गवर्नेंस या सार्वजनिक नीति या लोक प्रशासन या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी या अन्वेषण या फोरेंसिक या सूचना सुरक्षा या अनुसंधान और विकास या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी या ई-गवर्नेंस और संबद्ध क्षेत्र में प्रशिक्षण में पांच वर्ष का अनुभव। **टिप्पणी 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी शामिल है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणी 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारिख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. सहायक निदेशक	09* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधीन	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह ',ख', राजपत्रित अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-8 (₹47600 – ₹151100/-)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी, जो - (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए; या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (₹ 44900 - ₹ 142400/-) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात दो वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते हों, अर्थात्: - (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बी.ई. या बी.टेक या विज्ञान में मास्टर डिग्री; (ii) सूचना सुरक्षा या ई-गवर्नेंस या सार्वजनिक नीति या लोक प्रशासन या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी या अन्वेषण या फोरेंसिक या सूचना सुरक्षा या अनुसंधान और विकास या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी या ई-गवर्नेंस और संबद्ध क्षेत्र में प्रशिक्षण में तीन वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी शामिल है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणी 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारिख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. ए-12018/01/2024-एडी.-V]

विश्वजीत कुमार गुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 21st July, 2025

G.S.R. 107.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Joint Deputy Director, Deputy Director and Assistant Director, Monitoring Unit under the Ministry of Home Affairs, namely: -

1. **Short title and commencement. –**

(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Monitoring Unit, Ex-cadre posts Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application. –** These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix. –** The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.–** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualifications. –** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.–**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.–**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Agelimit for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1. Joint Deputy Director.	02* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘A’, Gazetted, Non-Ministerial.	Level-12 (₹78800-₹209200/-) in pay matrix.	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment**
(11)	**(12)**	**(13)**
Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or University or recognised research institutions, - (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service rendered after appointment thereto in level-11 (₹67700 – ₹208700/-) in the pay matrix or equivalent on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualification and experience, namely: - (i) Essential: - (A) B.E. or B. Tech or Master's Degree in Science from a recognised University or institute; (B) ten years' experience in Information Security or e-Governance or public policy or public administration or Information and Communication Technology or Investigation or Forensics or Training in the field of Information Security or Research and Development or Information and Communication Technology or e-Governance and allied field. (ii) Desirable: Master's Degree in Computer Applications or M.Sc. (Computer Science or Information Technology) or Master in Business Administration or Post Graduate Diploma in Public Administration or Electronics and Telecommunication Engineering or Computer Science and Engineering or Computer Science or Computer Technology or Information Technology from a recognised University or institute. **Note 1:** The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.Deputy Director.	04* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 (₹67700–₹208700/-) in the pay matrix.	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract).

(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory Organisation or public sector undertakings or University or recognised research institutions,- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service rendered after appointment thereto in level-10 (₹56100 – ₹177500/-) in the pay matrix or equivalent on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualification and experience, namely: - (i) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology or Master's Degree in Science from a recognised University or institute; (ii) five years' experience in Information Security or e-Governance or public policy or public administration or Information and Communication Technology or Investigation or Forensics or Training in the field of Information Security or Research and Development or Information and Communication Technology or e-Governance and allied field. **Note 1:** The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Assistant Director.	09* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-ministerial.	Level-8 (₹47600–₹151100/-) in the pay matrix.	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract).

(11)	(12)	(13)

Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or University or recognised research institutions, - (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service rendered after appointment thereto in level-7 (₹44900 – ₹142400/-) in the pay matrix or equivalent on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualification and experience, namely:- (i) B.E. or B. Tech or Master's Degree in Science from a recognised University or institute; (ii) three years' experience in Information Security or e-Governance or public policy or public administration or Information and Communication Technology or Investigation or Forensics or Training in the field of Information Security or Research and Development or Information and Communication Technology or e-Governance and allied field. **Note 1:** The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/01/2024-Ad.V]

VISHVAJEET KUMAR GUPTA, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 108.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, शल्य शाला सहायक, शल्य शाला तकनीशियन और वरिष्ठ थियेटर तकनीशियन, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2015 को ,जहाँ तक इसका संबंध ज्येष्ठ थियेटर तकनीशियन के पद से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, में ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, वरिष्ठ शल्य शाला तकनीशियन समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2025 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि भर्ती की पद्धति,** आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति-